



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062026-273481  
CG-DL-E-16062026-273481

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2971]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948

No. 2971]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3092(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 627(E) तारीख 06/02/2026, 1958(E) तारीख 20/04/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के अमरेली जिले में NH351 के कि.मी. 27 से कि.मी.154 (महुवा - सावरकुंडला - अमरेली - बगसरा - वडिया - जेतपुर) के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14/02/2026 को "द टाइम्स ओएफ इंडिया [इंग्लिश]", 14/02/2026 को "दिव्य प्रकाश", 02/05/2026 को "द इंडियन एक्सप्रेस [इंग्लिश]", 02/05/2026 को "अवध टाइम्स" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

गुजरात राज्य के अमरेली जिले में NH351 के कि.मी. 27 से कि.मी.154 (महुवा - सावरकुंडला - अमरेली - बगसरा - वडिया - जेतपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: अमरेली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कुंकवाव वडिया					
गांव का नाम: खडखड					
1	29 पैकी 2	निजी (कृषि)	कृषि	0.067	भंडेरी कुंदनबेन छोटालाल, भंडेरी छोटालाल रामजीभाइ, भंडेरी ध्रुव छोटालाल 29 PAIKI 2
गांव का नाम: मोरवाडा					
2	147 मिन	निजी	कृषि	0.1033	दिपकभाई शंभूभाई ढोलरिया 147 PAIKI 1 / PAIKI 1
गांव का नाम: अरजणसुख					
3	304 मिन	निजी	कृषि	0.1495	गोविंदभाई राघवभाई वघासिया 304/ PAIKI 1
गांव का नाम: नाजापुर					

4	201 मिन	निजी (कृषि)	कृषि	0.0397	पानसुरीया राघवभाई मेघजीभाई,, मेहुलभाई विनुभाई पानसुरीया , चिराग रमेशभाई पानसुरीया , विजय रमेशभाई पानसुरीया , प्रागजीभाई गोविंदभाई पानसुरीया , पानसुरीया लालजीभाई वशरामभाई 201/4 PAIKI
तालुक का नाम: बगसरा					
गांव का नाम: पीठडीया					
5	109 पैकी 1/ पैकी 1/ पैकी 1	निजी (कृषि)	कृषि	0.0973	राजेशभाई भीमजीभाई बोघरा 109 PAIKI 1 / PAIKI 1/ PAIKI 1
6	109 पैकी 1/ पैकी 2/ पैकी 1	निजी (कृषि)	कृषि	0.1522	बोघरा बालाभाई दुदाभाई 109 PAIKI 1 / PAIKI 2/ PAIKI 1
7	109 पैकी 2 / पैकी 1	निजी (कृषि)	कृषि	0.0224	प्रभावेन नागजीभाई बोघरा, सुरेशभाई नागजीभाई बोघरा 109 PAIKI 2 / PAIKI 1
गांव का नाम: डेरीपीपारीया					
8	106/3 + 2 पैकी 1	निजी (कृषि)	कृषि	0.0005	मनोजभाई विरजीभाई तळाविया 106/3+2 /PAIKI 1
<b>Total</b>				<b>0.6319</b>	

[फा. सं. GJ/P/V/13/2019/3D4]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2026

**S.O. 3092(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **627(E) Dated:06/02/2026, 1958(E) Dated:20/04/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH351 in the stretch of land from Km. 27 to Km. 154 in the district of AMRELI in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Times of India**” dated **14/02/2026**, “**Divya Prakash**” dated **14/02/2026**, “**The Indian Express**” dated **02/05/2026**, “**AVADH TIMES**” dated **02/05/2026**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH351 in the stretch of land from Km. 27 to Km. 154 (MAHUVA - SAVARKUNDALA - AMRELI - BAGASARA - VADIA - JETPUR) in the district of AMRELI in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: AMRELI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Kunkavav Vadia</b>					
<b>Village: Khadkhad</b>					
1	29 Paiki 2	Private (Agriculture)	Agriculture	0.067	BHANDERI KUNDANBEN CHHOTALAAL, BHANDERI CHHOTALAAL RAMJIBHAI, BHANDERI DHRUV CHHOTALAAL 29 PAIKI 2
<b>Village: Morvada</b>					
2	147 min	Private	Agriculture	0.1033	DIPAKBHAI SHAMBHUBHAI DHOLARIYA 147 PAIKI 1 / PAIKI 1
<b>Village: Arjansukh</b>					
3	304 min	Private	Agriculture	0.1495	GOVINDBHAI RAGHAVBHAI VAGHASIYA 304/ PAIKI 1
<b>Village: Najapur</b>					

4	201 Min	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0397	PANSURIYA RAGHAVBHAI MEGHAJIBHAI,, MEHULBHAI VINUBHAI PANSURIYA, CHIRAG RAMESHBHAI PANSURIYA, VIJAY RAMESHBHAI PANSURIYA, PRAGAJIBHAI GOVINDBHAI PANSURIYA, PANSURIYA LALJIBHAI VASHRAMBHAI 201/4 PAIKI
<b>Taluk: Bagasara</b>					
<b>Village: Pithadiya</b>					
5	109 Paiki 1/ Paiki 1/ Paiki 1	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0973	RAJESHBHAI BHIMAJIBHAI BOGHARA 109 PAIKI 1 / PAIKI 1/ PAIKI 1
6	109 Paiki 1/ Paiki 2/ Paiki 1	Private (Agriculture)	Agriculture	0.1522	BOGHARA BALABHAI DUDABHAI 109 PAIKI 1 / PAIKI 2/ PAIKI 1
7	109 Paiki 2 / Paiki 1	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0224	PRABHABEN NAGJIBHAI BOGHARA, SURESHBHAI NAGJIBHAI BOGHARA 109 PAIKI 2 / PAIKI 1
<b>Village: Deri Pipaliya</b>					

8	106/3 + 2 PAIKI 1	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0005	MANOJBHAI VIRAJIBHAI TALAVIYA 106/3+2 /PAIKI 1
<b>Total</b>				<b>0.6319</b>	

[F. No. GJ/P/V/13/2019/3D4]

SHAIKH AMINKHAN, Director